लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2023 / 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 252

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री ताराचन्द शिवाजी पटेल, सदस्य, तेरहवीं लोक सभा; श्री विजय कुमार यादव, सदस्य, सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा; श्री सरताज सिंह चटवाल, सदस्य, नौवीं से बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा; श्री प्रभातसिंह प्रतापसिंह चौहान, सदस्य, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा; श्री डी. बी. चंद्रगौड़ा, सदस्य, पाँचवीं, छठी और पंद्रहवीं लोक सभा तथा श्री बसुदेव आचार्य, सदस्य, सातवीं से लेकर पंद्रहवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

4*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने टिप्पणी की और सदस्यों से सभा में शिष्टाचार बनाए रखने और तख्तियां न दिखाने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.668(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.670(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.85(अ) और 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.86(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.674(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.703(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.727(अ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.738(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.758(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(आठ) सा.का.नि.804(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.617(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.805(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.711(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.759(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.762(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.765(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.768(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.771(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.774(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.777(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.780(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.676(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.677(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 689(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 690(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 691(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 712(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 760(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 763(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 766(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 769(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 687(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 772(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 775(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 778(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 781(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 784(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 713(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 761(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 764(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 703(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 767(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 770(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 773(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 708(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 776(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 779(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.785(अ) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.714(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ) जो 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय

अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर में उद्भूत वहां से निर्यातित "70 ली काउंट से नीचे वाले फ्लैक्स यार्न" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 672 (अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 673(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 700(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 701(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 747(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 748(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 810(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 811(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/143 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एनएसयू/डीआर/अध्यादेशों का प्रकाशन/2023 जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति के, उसमें उल्लिखित अध्यादेश अधिसूचित किए गए है, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के बारे में 246वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' के बारे में 247वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' के बारे में 248वां प्रतिवेदन।

***अपराह्न 12.02 बजे**

7. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

---

* अपराह्न 12.04 से अपराह्न 1.03 तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.46 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधियों को रोके जाने के संबंध में एक निवेदन किया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान[#] ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए वित्तपोषण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के बारे में।

2) श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा कर्नाटक के कोलार जिले में वन भूमि के कथित अतिक्रमण के बारे में।

3) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा फर्रुखाबाद-मैलानी रेल लाइन के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन किए जाने के बारे में।

4) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल से संबंधित मुद्दों के बारे में।

5) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुर्गी और बेंगलुरु के बीच एक नई ट्रेन चलाए जाने और वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाओं को कलबुर्गी तक विस्तारित किए जाने के बारे में।

6) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संडीला में एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के बारे में।

7) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने और शवदाह गृह के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

8) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा खंडवा-धार रेलवे परियोजना के निर्माण के बारे में।

[#] शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री।

9) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरोली में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में।

10) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों को सब्सिडी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा खेतौरी और घटवालों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) डॉ. शशि थरूर द्वारा इसरो और विज्ञान विभाग में संयुक्त परामर्श तंत्र (जेसीएम) के पुनर्गठन के बारे में।

13) श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा केरल में धान के किसानों की दुर्दशा के बारे में।

14) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा राष्ट्रीय इलायची बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) प्रो. सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत लंबित बकाया राशि जारी करने के बारे में।

16) श्री चन्द्रशेखर बेल्लाना द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा जेएनपीटी द्वारा शेवा गाँव की भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नवीन शेवा गाँव और हनुमान कोलीवाड़ा के लोगों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18) श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा पात्र लाभार्थियों के बीच आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा जल जीवन मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए शीघ्र धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने और धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) श्री किंजरापु राम मोहन नायडू द्वारा काजू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने के बारे में।

22) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा अम्बेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अकबरपुर रेलवे जंक्शन पर रेक पॉइंट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु में उड़ान योजना के अंतर्गत एक हेलीपोर्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

25) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा जलगाँव में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्वीकृत किए जाने के बारे में।

26) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा देश में मिलेट्स की खेती और उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.56 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, राज्य सभा द्वारा यथापारित

आवंटित समय: 2 घण्टा
लिया गया समय: 3 घण्टा 6 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री ए. राजा
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री एन. रेड्डप्प
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
9. श्री पी.पी. चौधरी
10. श्री मलूक नागर
11. श्री हसनैन मसूदी
12. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
13. श्री जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"
14. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
15. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

16. श्री अधीर रंजन चौधरी

17. श्री सय्यद ईमत्याज जलील

18. श्री गिरिधारी यादव

19. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

20. श्रीमती नवनित रवि राणा

21. श्री संतोष पान्डेय

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया गया।

सायं 06.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2023 / 14 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 253

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 27 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26 और 28 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी-:-

(1) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3246(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3682(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 5 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3945(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 15 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4082(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 26 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4228(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(6) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दसवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4366(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4552(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (बारहवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4640(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(9) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 30 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4739(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(10) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2023 जो 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4764(अ) में प्रकाशित हुआ था।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

(1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3744 (अ), जो 22 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थापित परिसर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सुधार प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 4 दिसंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने डाकघर विधेयक, 2023 को पारित कर दिया है।

5. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया**

डाकघर विधेयक, 2023.

6. **विधेयक पर अनुमति**

महासचिव ने 19 सितंबर, 2023 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 तथा राष्ट्रपति से संविधान (106वां संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में अनुमति प्राप्त उक्त विधेयक की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखी।

[$]अपराह्न 12.02 बजे

7. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने (एक) ''वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'' के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 08.08.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (अंग्रेजी संस्करण) दिया।

(लोक सभा अपराह्न 01.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 02.02 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल द्वारा गुजरात के महेसाणा में रेलवे यार्ड को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

[$] अपराह्न 12.03 से अपराह्न 1.02 तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

2) श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा शहर में रेल ओवरब्रिज के पुनरुद्धार एवं चौड़ीकरण के बारे में।

3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के चाकुलिया में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के बारे में।

4) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा रायचूर में एम्स की स्थापना के बारे में।

5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा विभिन्न राज्यों में वाहनों पर रोड टैक्स लगाने में विसंगति के बारे में।

6) डॉ जयंत कुमार राय द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की स्थानांतरण नीति के बारे में।

7) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पाली संसदीय निर्वाचनक्षेत्र के बिलाड़ा एवं भोपालगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

8) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा मराठा समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या वाले शहरों में सीजीएचएस के विस्तार के लिए मानदंडों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए राजकोट में स्वास्थ्य जाँच सुविधाओं की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में।

11) डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचनक्षेत्र में इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का आधारित बायो-रिफाइनरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति के बारे में।

13) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के भवानीपटना में एक अकादमिक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल और एक राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या द्वारा 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15) श्री मनोज किशोरभाई कोटक द्वारा महाराष्ट्र में नई ट्रेनें चलाए जाने के बारे में।

16) श्री मोहन मंडावी द्वारा कांकेर में दूध नदी पर नए पुल के निर्माण के बारे में।

17) श्री गौरव गोगोई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के बारे में।

18) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा कोराट्टी सिग्नल जंक्शन, कोराट्टी पर एनएच 544 पर फ्लाई ओवर की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19) श्री विजयकुमार (उर्फ) विजय वसंत द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा एमपीलैड निधि बढ़ाए जाने और उस पर जीएसटी माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21) डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए में रियायत बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा रेल रखरखाव मानचित्र के अंतर्गत दक्षिण बारासात रेलवे स्टेशन पीडब्ल्यूडी रोड से ध्रुबचंद हलदर कॉलेज तक सड़कों को शामिल किए जाने के बारे में।

23) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हाल ही में हुई सुरंग दुर्घटना के दृष्टिगत सुरंगों के सुरक्षा ऑडिट के बारे में।

24) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के डोंबिवली में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के विस्तार के बारे में।

25) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराते हुए उसका थावे के रास्ते छपरा जंक्शन तक विस्तार किए जाने बारे में।

26) श्री महेश साहू द्वारा ओडिशा में तलचर के महानदी कोलफील्ड्स के कारण होने वाले धूल प्रदूषण के बारे में।

27) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू-कश्मीर में बिजली की स्थिति के बारे में।

28) श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम बंदरगाह पर आप्रवासन एवं पादप संगरोध सुविधाओं के विकास के बारे में।

अपराह्न 02.03 बजे

9. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

(एक) *जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023.*

(दो) *जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.*

आवंटित समय: 4 घण्टा

लिया गया समय: 3 घण्टा 57 मिनट

श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023; और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. अमर सिंह
2. श्री जुगल किशोर शर्मा
3. प्रो. सौगत राय
4. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
5. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री महेश साहू
8. श्री मलूक नागर
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री हसनैन मसूदी
11. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
12. श्री मनीश तिवारी
13. डॉ. जितेन्द्र सिंह[#]
14. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
15. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
16. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. श्री जसबीर सिंह गिल
19. श्री जगदम्बिका पाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नही हुई।

सायं 06.00 बजे

[#] विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

(लोक सभा बुधवार, 6 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2023 / 16 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 255

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है:

1. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
2. सुश्री दिया कुमारी
3. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
5. श्री राकेश सिंह
6. श्रीमती रीती पाठक
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्रीमती गोमती साय
9. श्री अरुण साव

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 (तारांकित प्रश्न संख्या 70 के साथ युग्मित) और 62 से 65 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 66 से 69 और 71 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 828, 830 से 855, 857 से 908 और 910 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सदस्यों की नियुक्ति, रिक्तियों को भरने की रीति, शुल्क ओर भत्ते तथा उनके कार्यनिष्पादन की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिलर्स के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/चिलर्स/40/2021-22 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/डब्ल्यूएम/06/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पोसोको), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पोसोको), नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायिकियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायिकियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीयूएससीओ लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सिलवासा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सिलवासा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात), भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात), भोपाल का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) दूसरा संशोधन, विनियम, 2023 जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एलएम/पीएम/0024/2020/यूडीएवाई/पीओएल. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-24 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3915(अ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेस-दो के संरेखण (अलाइनमेन्ट) को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी दिनांक 16 नवम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 4939(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(6) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4370(अ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे भूमिगत रेल (परिचालन और संरक्षण) अधिनियम, 2002 में संशोधनों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय के बारे में विद्युत मंत्रालय से संबंधित 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) 'नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों में मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' विषय के बारे में शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण।

[*]अपराह्न 12.03 बजे

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 249वां प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 250वां प्रतिवेदन।

(लोक सभा अपराह्न 1.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1) श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में।

2) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माझी एवं भगवानपुर हाट कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के बारे में।

3) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहटा-औरंगाबाद रेलवे लाइन के निर्माण और झारखंड में हज़ारीबाग़ तक रेलवे लाइन के विस्तार में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों के कारण होने वाले भू-कटाव के बारे में।

5) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा देश में समान नागरिक संहिता के अधिनियमन के बारे में।

---

[*] अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 1.35 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

6) श्रीमती गीता कोडा द्वारा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के किसानों और मजदूरों को परिपक्वता राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा तमिलनाडु में बोम्मिडी एवं मोरप्पुर स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।

8) श्री रघु रामकृष्ण राजू कानुमुरू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती हाई स्कूलों के साथ विलय किए जाने के बारे में।

9) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया राजमार्ग (एनएच-107) और अन्य अधूरी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11) श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा केन्द्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रिक्त सरकारी पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

12) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 250 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.34 बजे

8. सरकारी विधेयक -पारित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023.

आवंटित समय: 2 घण्टा

लिया गया समय: 5 घण्टा 41 मिनट

डॉ. सुभाष सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2023 को पेश किए गए विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राजीव प्रताप रूडी (भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
3. श्री राहुल रमेश शेवाले
4. श्री हसनैन मसूदी
5. श्री सय्यद ईमत्याज जलील

6. श्री तापिर गाव
7. प्रो. सौगत राय
8. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. डॉ. एस.टी. हसन
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री अरविंद सावंत
15. श्री सेल्वम जी.
16. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
17. श्री गिरीश चन्द्र
18. डॉ. मोहम्मद जावेद
19. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल
20. श्री रामशिरोमणि वर्मा
21. श्री राजू बिष्ट
22. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
23. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्ण राजू
24. श्री निशिकांत दुबे
25. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
26. श्री वी. वैथिलिंगम
27. श्री जगदम्बिका पाल
28. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
29. श्री रितेश पाण्डेय
30. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.33 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023 / 17 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 256

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है:

1. श्रीमती रेणुका सिंह सरूता
2. श्री बालक नाथ

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में श्री श्रीरंग आप्पा बारणे के नामनिर्देशन के बारे में घोषणा की।

3. प्रश्न

व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 956, 958 से 1147 और 1149 से 1150 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 3859(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के राज्यक्षेत्र बोर्ड में संबंधित श्रेणियों में उसमें उल्लिखित सदस्यों को, सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(2) का.आ. 4079(अ) जो 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ दिनांक 4 मई, 2022 के समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (छ) को अशोधित करके राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना को अधिसूचित किया गया है।

(3) का.आ. 4554(अ) जो 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (घ)(दो) को संशोधित करके राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना को अधिसूचित किया गया है।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) मनोहर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलौर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-द-गामा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के

बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कैम्पस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) कैम्पस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओषधि (आठवां संशोधन) नियम, 2022, जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई ओषधि और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियम, 2023, जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2023, जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ओषधि (संशोधन) नियम, 2023, जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति (कठिनाइयों को दूर करना) छठा आदेश, 2023 जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4773(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. आचार समिति का प्रतिवेदन

श्री विनोद कुमार सोनकर ने आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के. मुरलीधरन ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2023-24) के बारे में समिति के 341वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 360वां प्रतिवेदन।

(2) 'सड़क क्षेत्र से संबंधित मुद्दे' के बारे में समिति के 325वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 361वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2023-24) के बारे में समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 362वां प्रतिवेदन।

(4) 'भारत में खोजे न जा सके संस्मारकों और ऐसे संस्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे' के बारे में समिति के 324वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 363वां प्रतिवेदन।

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 11 दिसम्बर, 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1) श्री अब्दुल खालेक द्वारा लोकतंत्र के शहीदों को मुआवज़ा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगोड स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।

3) श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4) श्री राजेन्द्र गावित द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जनजातीय लोगों से संबंधित डेटा को संकलित और प्रदर्शित करने की आवश्यकता के बारे में।

5) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार में बगहा और पटना के बीच पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

10. प्रस्ताव

लिया गया समय: 1 घण्टा 6 मिनट

(एक) आचार समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

> "कि यह सभा संसद में पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में कथित रूप से प्रत्यक्ष संलिप्तता के लिए श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के विरुद्ध डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा 15 अक्तूबर, 2023 को दी गई शिकायत के बारे में श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के अनैतिक आचरण की जाँच/अन्वेषण के संदर्भ में 8 दिसंबर, 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार समिति के पहले प्रतिवेदन पर विचार करे।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

(1) श्री अधीर रंजन चौधरी
(2) श्री मनीश तिवारी
(3) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
(4) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
(5) श्री कल्याण बनर्जी
(6) श्री गिरिधारी यादव
(7) श्री हसनैन मसूदी
(8) श्रीमती अपराजिता सारंगी

अध्यक्ष ने टिप्पणी* की कि सभा में पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिए गए निर्णयों और परंपराओं का पालन करने की परंपरा है।

अध्यक्ष ने समितियों के प्रतिवेदनों पर सभा में हुई चर्चाओं के बारे में भी टिप्पणी** की।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.05 बजे

(दो) आचार समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सहमति के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि यह सभा संसद में पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में कथित रूप से प्रत्यक्ष संलिप्तता के लिए श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के विरुद्ध डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा 15 अक्तूबर, 2023 को दी गई शिकायत के बारे में श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के अनैतिक आचरण की जाँच/अन्वेषण के संदर्भ में 8 दिसंबर, 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

* अपराह्न 2.36 बजे की गई। मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।
** अपराह्न 2.51 बजे की गई। मूल हिंदी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 3.06 बजे

(तीन) आचार समिति के पहले प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के निष्कासन के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह सभा श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के विरुद्ध डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा दी गई शिकायत पर आचार समिति के पहले प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए;

जिसमें उन्हें अपने लोक सभा क्रेडेंशियल्स, अर्थात् लोक सभा 'सदस्य पोर्टल' के यूजर आईडी और पासवर्ड को अनधिकृत व्यक्ति को साझा करने के 'अनैतिक आचरण' और 'सभा के अवमान' तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके दूरगामी प्रभाव का दोषी पाया गया है।

जिसमें एक व्यवसायी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए उससे उपहारों और अन्य सुविधाओं के माध्यम से अवैध परितोषण स्वीकार करने के लिए एक संसद सदस्य के रूप में उनके आचरण को अशोभनीय भी पाया गया है जो कि उनके द्वारा किया गया एक गंभीर उपापराध और अत्यधिक निंदनीय आचरण है;

समिति की उपर्युक्त सिफारिश/निष्कर्ष को स्वीकार करती है और संकल्प करती है कि श्रीमती महुआ मोइत्रा का लोक सभा सदस्य के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.08 बजे

(लोक सभा सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023 / 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 257

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 107 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 108 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1236, 1238 से 1252, 1254, 1256 से 1268, 1270 से 1369 और 1371 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, निर्वाचित सदस्य ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 8 दिसम्बर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के 13वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.587(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर, संयुक्त, उप अथवा सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रतिस्पर्धा (दिशानिर्देशों के प्रकाशन का प्ररुप) नियम, 2023, जो 26 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी102 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी103 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी104 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शोधन अक्षमता वृत्तिक अभिकरणों की आदर्श उप-विधियां तथा शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-24/जीएन/आरईजी105 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2023-2024/जीएन/आरईजी106 में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड.(5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3558(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रबंधन प्राधिकरण को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उसमें उल्लिखित धाराओं एवं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों और प्रकार्यों को उक्त अधिसूचना के कॉलम (3) में उल्लिखित प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाना अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जल शुद्धिकरण प्रणाली (उपयोग का विनियमन) नियम, 2023 जो दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 826(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3840(अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 3581(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6071(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 4751(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने दमन और दीव तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4798(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, इसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 और 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागवानी विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 और 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ज(4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3547(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ इसमें उल्लिखित, प्रवेश और निकास वाले पत्तनों को अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(13) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49च(1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3548(अ) जो दिनांक 8 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित, संस्थानों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अध्याय पांच ख के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(14) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4994(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'जी') को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(15) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.4995(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों में कार्यरत संयुक्त सचिव और वैज्ञानिकों (ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'जी') को प्रवेश/निरीक्षण तथा नमूने के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.652(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.745(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4086(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 68/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 4256(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 73/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 4507(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 76/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 4631(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 4752(अ) जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 81/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 2 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को

अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 4938(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 83/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 84/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात और निर्यात माल हेतु विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा या भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 5061(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 5118(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.585(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सोलह) सा.का.नि. 792(अ) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 872(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3421(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 123 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 3422(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 137 से 162 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 3423(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एसएलपी(सी) सं. 32709-32710/2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुरूप पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 3424(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कतिपय माल के विनिर्माण में शामिल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 574(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26.12.2022 की अधिसूचना संख्या 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 575(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़ रुपये तक के समग्र टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्ति को उक्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी भरने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 576(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158क के अंतर्गत ''लेखा संकलक'' को प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिससे सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 577(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24(नौ) के अंतर्गत कतिपय दशाओं के अध्यधीन, ईसीओज के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति हेतु अनिवार्य पंजीकरण की बाध्यता से छूट देना है 'तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.578(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन सभी वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित करना है, जिन्हें एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात किया जा सकता है और जिन पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है **तथा** एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.3420(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स बीएसएच हाऊसहोल्ड एप्लायंसेज मैनुफेक्चुरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.588(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा कंपोजिशन करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.589(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उनके माध्यम से माल की आपूर्ति के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.590(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 6 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.657(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.4090(अ) जो दिनांक 18 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिनका आशय मेसर्स इंकुआट इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.4219(अ) जो दिनांक 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 3424(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2023 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.704(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.705(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप-धारा (5) के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन, ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा अन्य ऑनलाइन गेमिंग प्रदायन और कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों के प्रदायन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.706(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1422(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.707(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.798(अ) में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.4767(अ) जो दिनांक 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2023 तक दिए गए मांग आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने में विलंब की माफी के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(तेईस) का.आ.4073(अ) जो दिनांक 14 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 राज्य पीठों के गठन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.846(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2023 जो दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.793(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

(एक) सा.का.नि.708(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया, जिस दिन एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.709(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन को माल प्रदायन के रूप में अधिसूचित करना है, जिनके आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एकीकृत कर लगाया और एकत्र किया जाएगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.710(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केंद्रीय कर, बेंगलुरु पश्चिम के प्रधान आयुक्त और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के विदेशी प्रदाता के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदायन के मामले में पंजीकरण देने के लिए अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.797(अ) जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर रूट के अंतर्गत रिफंड के लिए पात्र पंजीकृत व्यक्ति की आपूर्ति और श्रेणी को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सा.का.नि.836(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.837(अ) जो दिनांक 16 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.871(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सा.का.नि.845(अ) जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन गणराज्य से उत्पन्न या निर्यात किए गए "1.8 एमएम से 8 एमएम की मोटाई और 0.4 वर्ग मीटर या उससे कम व्यास वाले घरेलू उपकरणों के लिए प्रबलित काँच" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.853(अ) जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रथम सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्षों के अनुसार चीन गणराज्य से "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)" के आयात पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.860(अ) जो दिनांक 22 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मौजूदा शुल्क तालिका को संशोधित करने के लिए चीन गणराज्य से "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक-आधारित मोती औद्योगिक रंगद्रव्य" के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत 5 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.655 (अ) में प्रकाशित अधिकरण (सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(10) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2023/139 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सुविधा और शिकायत निवारण तंत्र) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148 में प्रकाशित हुए थे।

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति: -

(एक) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.579(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.595(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2023 जो 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 637(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2023 जो 25 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2023 जो 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2023 जो 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2023 जो 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2023 जो 16 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2023 जो 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.4291(अ) जो30 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3252 (अ) जो दिनांक 20 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय एलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल- I, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110037 में है, उक्त अधिनियम की धारा 5की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ "अभिहित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (कैवल्यधाम के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 27 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 3अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 29 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 867 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 17 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 844 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (संत मीरा बाई के 525वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 21 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.621(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 जो 6 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.818(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) वरिष्ठ नागरिक बचत (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पाँच) राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (चौथा संशोधन) योजना, 2023 जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.830(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना,2023जो 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.831(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(17) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2023-24 जो 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 दिसंबर, 2022की अधिसूचना सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2023-24में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफ़एससीए/2023-24/जीएन/आरईजी042 में प्रकाशित हुए थे।

(18) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 24जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/140 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 कीअधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 को अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156 में प्रकाशित हुए थे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - पिक्चर गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(दो) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - जुमा मस्जिद, हरदोई रोड, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(तीन) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023 - चतुर्दश देवता मंदिर, त्रिपुरा।

(चार) केंद्र संरक्षित संस्मारक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियाँ 2023- मच्छी भवन किला के पास कब्रिस्तान, लखनऊ।

(2) (एक) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान श्री सिटी, चित्तूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 जो 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 1-1/2023 (आईसी-एफएचईआई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 32 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2023 जो 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.4-1/2023-सीयू.II. में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अध्यादेश, जो 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 27021/2022-स्था./ के.सं.वि./ अध्यादेश में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 तथा वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) तनावग्रस्त आस्तियां स्थिरिकरण कोष, मुम्बई के वर्ष 2021- 2022 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 53वें मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 60 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) सामान्य विनियम, 2008 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य (संशोधन) विनियम, 2015 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 2015 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 43 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य (संशोधन) विनियम, 2018 जो दिनांक 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनबी.एसईसीवाई/सी-4/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क(3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/5/193/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आईएसी/6/194/2023 जो दिनांक 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन को अधिसूचित किया गया है।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.06.2023 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.09.2023 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 30.09.2023 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचओ:एचआरएम:पीईएन:115:3263(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचओ:एचआरएम:टीबीडी:2023-24:319 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एएक्स1/एसटी/पेंशन आरईजी/1524/2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचआरडब्ल्यू आईआरएस 228ए पीएस 886 2023 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. पीईएन/01/2023(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचआरएमडी/पीईएन/001/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचओ:पेंशन/एमआईएससी/2023 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. पीएसबी/पीईएन/एएमईएनडी/1/2023 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचओपीएसडी/पेंशन/2023-24/67 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. यूबीआई/एचआर/22300 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2023 जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एचओ:एचआर:आईएल:2023-2024:422 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. बीसीसी:एचआरएम:115:403. में प्रकाशित हुए थे।

(12) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 01/एनएबीएफआईडी/2023-24 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.एचआरएमडी सं. एस9781/21.01.000/2023-24 में प्रकाशित हुए थै।

(14) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ बडौदा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) इंडियन बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूको बैंक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त मद संख्या (14) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, हनुमाकोंडा

(दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, काडपा

(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन
(चार) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ
(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
(छह) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद
(सात) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
(आठ) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
(नौ) बडौदा यूपी बैंक, गोरखपुर
(दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
(ग्यारह) छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
(बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
(तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
(चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
(पंद्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
(सोलह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
(सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बल्लारी
(अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड
(उन्नीस) केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनंतपुरम
(बीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
(इक्कीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
(बाईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
(तेईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
(चौबीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
(पच्चीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
(छब्बीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
(सत्ताईस) ओडिशा ग्राम्या बैंक, भुवनेश्वर
(अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावडा
(उनतीस) प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
(तीस) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुदुचेरि
(इकतीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
(बत्तीस) राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर
(तैंतीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
(चौंतीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
(पैंतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
(छत्तीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक, सेलम
(सैंतीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
(अड़तीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलंगीर
(उनतालीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
(चालीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
(इकतालीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

(बयालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

(17) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन' विषय पर 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) 'देश में ग्लेशियर प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में फ्लैश बाढ़ में परिणत होने वाली ग्लेशियल झील फटने सहित ग्लेशियरों/ग्लेशियल झीलों की निगरानी' विषय पर 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का विवरण

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के विवरण

श्रीमती सुनीता दुग्गल ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव' विषय के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(6) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(7) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(9) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) का प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'बीआईएस - हॉलमार्किंग और आभूषण' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मलूक नागर ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) न्याय विभाग से संबंधित 'आवासीय न्यायालयों का कार्यकरण/वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय की कार्यवाही' विषय के बारे में समिति के 103वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 134वां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 126वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

(3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 127वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(4) न्याय विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 128वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

(5) विधि कार्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 129वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 138वां प्रतिवेदन।

(6) विधायी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 130वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 139वां प्रतिवेदन।

(7) 'नोटरी की नियुक्ति' के बारे में 140वां प्रतिवेदन।

[$]अपराह्न 12.08 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने 'हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना' के बारे में श्री कुंबाकुडी सुधाकरन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 980 के 08.12.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

[$] अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 01.02 बजे, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री आर. के. सिंह पटेल द्वारा चित्रकूटधाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत दिये जाने के बारे में।
2. डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा देश में विभिन्न नहरों एवं तालाबों के पुनरुद्धार के बारे में।
3. श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव की स्वीकृति के बारे में।
4. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के बारे में।
5. श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री दुर्गा दास उइके द्वारा कृषि भूमि के व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन पर रोक लगाए जाने के बारे में।
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा दक्षिण दिनाजपुर में बीआर अंबेडकर अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बारे में।
8. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में केंद्रीय बजट से मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बारे में।
9. श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा कोलार में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) को अपने परिसर के विस्तार हेतु वन भूमि की उपलब्धता के लिए मंजूरी प्रदान किए जाने के बारे में।
10. श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किए जाने के बारे में।
11. श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निजी सौर संयंत्रों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा चुर्णी नदी में ड्रेजिंग के कार्य के बारे में।
13. श्री रमेश चन्द्र कौशिक द्वारा दिल्ली-सोनीपत और पानीपत को जोड़ने वाले सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बारे में।
14. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आईसीएआर-केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान के नये भवन के निर्माण के बारे में।
15. श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा-मिर्जापुर बरास्ता हनुमना रेलवे लाइन के निर्माण हेतु बजटीय स्वीकृति के बारे में।
16. श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा बेजबरूआ समिति की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और नस्लीय अपराधों को मान्यता देने के लिए आईपीसी की धारा 153 (ग) में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री हैबी ईडन द्वारा कोच्चि हार्बर विकास परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं के बारे में।
18. श्री गौरव गोगोई द्वारा दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाए जाने के उपायों के बारे में।

19. श्री एस.ज्ञानतिरावियम द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार किए जाने के बारे में।
20. श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बारे में।
21. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती द्वारा अनकापल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सारदा नदी के आस-पास आवश्यक अवसरंचना के विकास के लिए निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा लोनावाला-पुणे-लोनावाला के बीच नई लोकल रेलगाड़ी चलाए जाने के बारे में।
23. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी द्वारा ओडिशा में विधान परिषद के गठन के बारे में।
24. श्री गिरीश चन्द्र द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में।
25. चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों में कार्यरत सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि के बारे में।
26. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा आंगनवाड़ी, आशा एवं आक्जिलरी नर्स मिडवाइफ स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

12. वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें - 2020-2021

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटा 57 मिनट

शेष : 3 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एक साथ चर्चा की गई: -

(एक) वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73 , 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102.

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 15 और 18.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री गौरव गोगोई
(2) श्री निशिकांत दुबे
(3) श्री डी.एम.कथीर आनन्द
(4) प्रो. सौगत राय
(5) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

(6) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
(7) श्री दिनेश चन्द्र यादव
(8) श्री पिनाकी मिश्रा
(9) श्री बी.बी.पाटील
(10) श्रीमती सुप्रिया सुले
(11) डॉ. मोहम्मद जावेद
(12) श्री जयंत सिन्हा
(13) श्री रितेश पाण्डेय
(14) श्री जयदेव गल्ला
(15) एडवोकट ए.एम.आरिफ
(16) श्री हसनैन मसूदी
(17) डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी
(18) श्री राहुल रमेश शेवाले
(19) श्री के. सुब्बारायण
(20) श्री सौमित्र खान
(21) श्री हनुमान बेनीवाल
(22) श्री सय्यद ईमत्याज जलील (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2023 / 21 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 258

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 126 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1384, 1386 से 1441, 1443 से 1489, 1491 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी, निर्वाचित सदस्य ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 11 दिसम्बर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 23 सितम्बर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.121 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के

बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ञ) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ट) (एक) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ठ) (एक) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ढ) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ण) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(त) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(थ) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(द) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 जो दिनांक 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुपालन प्रथाएं और प्रक्रियाएं) नियम, 2023 जो दिनांक 21 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3477(अ) जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें दिनांक 3 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. 2696(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) का.आ.3478(अ) जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तहसील अमलारेम (दावकी गांव), जिला पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय, भारत, पिन कोड - 793109 में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के साथ 21.99 एकड़ माप वाली भूमि में अवस्थित दावकी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग ऑफिसर्स (समूह 'क' युद्धक पद) काडर, भर्ती नियम, 2023, जो 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 जो 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समेन काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 जो 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.840(अ) में प्रकाशित हुए थे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 तथा वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, गुरूग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, गुरूग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कीटनाशी (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 26 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.794(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (छठा संशोधन) नियम, 2023 जो 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.827(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) (सातवां) संशोधन आदेश, 2023 जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3831(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) (आठवां) संशोधन आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4251(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) (नौवां) संशोधन आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4645(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का.आ. 4918(अ) जो 14 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के विनिर्माताओं को राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों की और अवधि के लिए सीधे किसानों को थोक में बिक्री करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, 2023 जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5051(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कीटनाशी (प्रतिषेध) आदेश, 2023 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4294(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.4844(अ) जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके साथ प्रतिवेदन संसद के सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का 46वां और 47वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के विकास का कार्यान्वयन - एक समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2023-24) का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

***7.* सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष कुमार गंगवार ने 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) ‘भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन’ विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने ‘भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) - सहयोग की रूपरेखा’ विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)’ विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) ***जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023***

श्री नित्यानन्द राय* ने श्री अमित शाह** की ओर से विधेयक के पुरःस्थापन का प्रस्ताव पेश किया।

प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

चर्चा के पश्चात्, विधेयक के पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और वह स्वीकृत हुआ।

---

* गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

** गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

अपराह्न 12.08 बजे

12. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(दो) ***संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023***

[$]अपराह्न 12.13 बजे

13. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 अपराह्न 1300 बजे तक सभा पटल पर रखे जाएं।

अपराह्न 2.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः-

1. श्री संतोष पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर में बायपास रोड के निर्माण के बारे में।
2. श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा कर्नाटक में बरास्ता रायचूर और यादिगिरी, बेंगलुरु को गुलबर्गा से जोड़ने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(लोक सभा अपराह्न 1.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

3. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थराड में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा महाराष्ट्र में मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री धर्मवीर सिंह द्वारा नशीली दवाओं और ऑनलाइन सट्टेबाजी की बढ़ती लत पर रोक लगाए जाने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्रीमती जसकौर मीना द्वारा भेड-बकरी पालकों को सब्सिडी देने की योजना लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण के बारे में।
8. श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बैरगनिया रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ खाली पड़ी जमीन का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गोघाट के किसानों के कथित उत्पीड़न के

[$] अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 01.06 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

बारे में।

10. श्री रवि किशन द्वारा रेलगाड़ी संख्या 20503/04 (नई दिल्ली-डिब्रूगढ़) की बारम्बारता बढ़ाये जाने और रेलगाड़ी को बरास्ता गोरखपुर चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए चिकित्सा संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस द्वारा वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं के संचालन के बारे में।
14. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुध निर्माणी की स्थापना के बारे में।
15. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल द्वारा हिमालय क्षेत्र में श्रमिकों के लिए निवारण तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के बारे में।
17. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा शैक्षणिक ऋण संवितरण के लिए दिशा-निर्देश के बारे में।
18. डॉ. शशि थरूर द्वारा केरल को नए फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री एम.के.राघवन द्वारा बायपोर पत्तन के विकास और इसे सागरमाला योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने के बारे में।
20. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. द्वारा धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
21. डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए एनईएक्सटी परीक्षा हेतु तमिलनाडु को छूट दिए जाने के बारे में।
22. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू द्वारा आंध्र प्रदेश में चक्रवात प्रभावितों के लिए राहत पैकेज दिए जाने और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के पुनर्मूल्यांकन के बारे में।
23. श्री विनायक बी. राऊत द्वारा देश भर में 4जी टावरों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी द्वारा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों और कार्गो निर्यात में गिरावट के बारे में।
25. श्री जयदेव गल्ला द्वारा एच-1बी वीजाधारकों के आश्रितों के वीजा के नवीनीकरण के बारे में।
26. श्री के. सुब्बारायण द्वारा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं पर श्वेत पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा लंबित जल विवादों के समाधान तथा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बारे में।
28. श्री नव कुमार सरनीया द्वारा 'सरना' को देश के 7वें धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29. प्रो. सौगत राय द्वारा हाल ही में एक खालिस्तानी नेता की हत्या के बारे में।

अपराह्न **2.04** बजे

15. वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें - 2020-2021

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 39 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा जारी रही: -

(एक) वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73 , 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102.

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 15 और 18.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री सय्यद ईमत्याज जलील (भाषण पुन: आरंभ किया)
(2) श्री पी. रविन्द्रनाथ
(3) श्री सुशील कुमार रिंकू
(4) श्री राजमोहन उन्नीथन
(5) मौलाना बदरुद्दीन अजमल
(6) श्री अधीर रंजन चौधरी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 (राजस्व खाता और पूंजी खाता दोनों) वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांग संख्या 15 और 18 (राजस्व खाता और पूंजी खाता दोनों) - अतिरिक्त अनुदानों की मांग - 2020-2021 की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 3.39 बजे

16. **सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित**

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023

17. **सरकारी विधेयक - पारित**

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

18. **सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित**

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023

19. **सरकारी विधेयक - पारित**

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.46 बजे

20. सरकारी विधेयक - वापस लिए गए

(एक) भारतीय न्याय संहिता, 2023

(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(तीन) भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

अपराह्न 3.48 बजे

21. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023

(दो) भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023

(तीन) भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 3.52 बजे

22. सरकारी विधेयक – पारित

(एक) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

(दो) संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटे 52 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023; तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री जुगल किशोर शर्मा

(2) श्री अधीर रंजन चौधरी

(3) प्रो. सौगत राय

(4) श्री ए.राजा

(5) श्रीमती चिंता अनुराधा

(6) श्री कृपाल बालाजी तुमाने

(7) श्री कौशलेन्द्र कुमार

(8) श्री भर्तृहरि महताब

---

* विधेयक 11 अगस्त, 2023 को पुर:स्थापित किया गया था तथा जांच और प्रतिवेदन के लिए गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति का प्रतिवेदन 4 दिसंबर, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण 11.12.2023 को सदस्यों को परिचालित किया गया है।

(9) श्री मलूक नागर
(10) श्रीमती सुप्रिया सुले
(11) श्री अरविंद सावंत
(12) श्री गुरजीत सिंह औजला
(13) श्री हसनैन मसूदी
(14) श्रीमती जसकौर मीना
(15) श्री के.नवासखनी
(16) श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
(17) डॉ. आलोक कुमार सुमन
(18) श्री निशिकांत दुबे
(19) एडवोकट ए.एम.आरिफ
(20) श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
(21) श्री वी.वैथिलिंगम

श्री नित्यानन्द राय ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(दो) श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.44 बजे

(लोक सभा बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023 / 22 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 259

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा दुःखद घटना के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दुःखद घटना के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण उस आतंकवादी हमले के शहीदों की स्मृति के सम्मानार्थ थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 146 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 147 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1650 और 1652 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) रामन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामन अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 864(अ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण और मूल्यांकन) नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 38	पांचवां सत्र, 2010
2.	विवरण सं. 32	बारहवां सत्र, 2012
	सोलहवीं लोक सभा	
3.	विवरण सं. 32	दूसरा सत्र, 2014
4.	विवरण सं. 32	चौथा सत्र, 2015
5.	विवरण सं. 28	पांचवां सत्र, 2015
6.	विवरण सं. 27	छठा सत्र, 2015
7.	विवरण सं. 27	आठवां सत्र, 2016
8.	विवरण सं. 22	दसवां सत्र, 2016
9.	विवरण सं. 24	ग्यारहवां सत्र, 2017
10.	विवरण सं. 24	बारहवां सत्र, 2017
11.	विवरण सं. 18	चौदहवां सत्र, 2018
12.	विवरण सं. 17	सोलहवां सत्र, 2018
13.	विवरण सं. 17	सत्रहवां सत्र, 2019
	सत्रहवीं लोक सभा	
14.	विवरण सं. 20	पहला सत्र, 2019
15.	विवरण सं. 16	दूसरा सत्र, 2019
16.	विवरण सं. 15	तीसरा सत्र, 2020
17.	विवरण सं. 15	चौथा सत्र, 2020
18.	विवरण सं. 15	पांचवां सत्र, 2021
19.	विवरण सं. 14	छठा सत्र, 2021
20.	विवरण सं. 8	सातवां सत्र, 2021
21.	विवरण सं. 8	आठवां सत्र, 2022
22.	विवरण सं. 5	नौवां सत्र, 2022
23.	विवरण सं. 3	दसवां सत्र, 2022
24.	विवरण सं. 3	ग्यारहवां सत्र, 2023
25.	विवरण सं. 1	बारहवां सत्र, 2023

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलुरू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड (कन्सोलिडेटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और

वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मेकोन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आणविक खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि.736(अ) जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उसमें उल्लिखित दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के सिवाय) रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइन्स) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.870(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 334(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक क्षेत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) (एक) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(11) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(13) (एक) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फॉर्मैटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फॉर्मैटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4255 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, कब्जे और आयात को 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिषिद्ध किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बॉटल्ड वाटर डिस्पेंसर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4647(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पुलिस बल, नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4649(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) लीगल मेट्रोलॉजी - मैटेरियल मेजर्स ऑफ लेंग्थ (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5029(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) स्टील वायर्स या स्ट्रैण्ड, नायलॉन या वायर रोप्स और वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5022(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) डोर फिटिंग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4646(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) ड्रम और टिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4596(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) कॉपर उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4595(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) प्रेसिजन रोलर और बुश चेन, अटैचमेंट और संबद्ध चेन स्प्रोकेट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4242(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) मिसलेनियस स्टील प्रोडक्ट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4240(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) एल्युमीनियम एवं एल्युमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4241(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) सेल्फ- कंटेंड ड्रिंकिग वाटर कूलर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4243(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) फ्लक्स कोर सोल्डर वायर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4092(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 809(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

अपराह्न 12.02 बजे

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने निम्नलिखित के बारे में राज्य सभा से प्राप्त संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा 11 दिसम्बर, 2023 को हुई अपनी बैठक में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 11 दिसम्बर, 2023 को हुई अपनी बैठक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 12 दिसम्बर, 2023 को हुई अपनी बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023.

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24' के बारे में 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 357वां प्रतिवेदन।

(2) 'विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा एवं अनुसंधान परिदृश्य' के बारे में 358वां प्रतिवेदन।

(3) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 के बारे में 350वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 359वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 332वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 347वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 372वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(पाँच) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 377वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 384वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) की ओर से इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन'के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(5) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. प्राक्कलन समिति (2023-24) के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2023-24) के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जनार्दन मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव, जो क्रम सं. 7 की मद के पैरा (3) में अंतर्विष्ट है, के अनुसरण में इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालक नाथ जिन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रस्ताव

(एक) श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[$]अपराह्न 12.12 बजे

14. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(दो) अनंतिम कर-संग्रहण विधेयक, 2023

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

[*]*(तीन) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023*

(लोक सभा अपराह्न 01.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 02.02 बजे

15. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने घोषणा की कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है और दर्शक दीर्घा से कूदने वाले व्यक्तियों द्वारा फैलाया गया धुआं हानिकारक नहीं था।

[$] अपराह्न 12.19 बजे से अपराह्न 01.01 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[*] अपराह्न 02.11 बजे

अपराह्न 2.10 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1. श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में रेल सुविधाओं में सुधार के बारे में।
2. श्री गोपाल जी. ठाकुर द्वारा दरभंगा से नई हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा झाड़ग्राम स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में।
4. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक्स-बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में रेलवे लाइन पर अंडरपास/फुटओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।
6. डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना एक्सप्रेस और केरला एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में।
7. श्री दिलीप शइकीया द्वारा असम के दरांग जिले को रेल कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री गौडर मल्लिकार्जुनप्पा सिद्देश्वर द्वारा मरियम्मनाहल्ली-शिवमोगा एसएच-25 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नंदुरबार और पुणे के बीच दैनिक आधार पर एक इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
10. श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा 'जलवायु परिवर्तन' को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री घनश्याम सिंह लोधी द्वारा रेल यात्रियों को रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए रेलवे टिकट की वर्तमान स्थिति जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री राहुल कस्वां द्वारा चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे पुल (आरओबी), मवेशी अंडरपास (सीयूपी) एवं वाहन अंडरपास (वीयूपी) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।
14. श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा दिल्ली-हावड़ा एवं दिल्ली-मुंबई मार्ग पर अत्यधिक रेलवे ट्रेफिक के बारे में।

15. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में।
16. श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में मक्सी-रुथियाई रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में।
17. श्री बैन्नी बेहनन द्वारा अंगमाली-एरुमाली-सबरी नई रेल लाइन परियोजना को निधि आवंटन और पुनः प्रारम्भ किए जाने के बारे में।
18. श्री अब्दुल खालेक द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बीच विसंगति से निपटने के लिए एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. डॉ. टी.आर.पारिवेन्धर द्वारा पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
20. श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में।
21. श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा कृषकों हेतु व्यवहार्यता मूल्य निर्धारित किए जाने के बारे में।
22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बारे में।
23. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) निधियां जारी किए जाने के बारे में।
24. श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफएन) पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाए जाने के बारे में।
25. श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स या एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के बारे में।
26. श्री महेश साहू द्वारा नाल्को, ओडिशा में स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बीच असमानता के बारे में।
27. श्री पी.आर.नटराजन द्वारा बीएसएनएल को 4जी और 5जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा कार्बन न्यूट्रल शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने के लिए नीति के बारे में।
29. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.12 बजे

17. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

डाकघर विधेयक, 2023

आवंटित समय: **2** घंटे

लिया गया समय: **39** मिनट

श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) डॉ. शशि थरूर

(2) श्री तापिर गाव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(लोक सभा अपराह्न 2.51 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

*__अपराह्न 4.00 बजे__

18. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने घुसपैठियों के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर टिप्पणी की। उन्होंने घुसपैठियों को पकड़ने में अनुकरणीय साहस दर्शाने के लिए संसद सदस्यों, मार्शल और चैंबर स्टाफ को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि दलों के नेताओं से परामर्श के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी।

अपराह्न 4.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 260

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 13 दिसम्बर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है:

1. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
2. श्री उत्तम कुमार रेड्डी

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 162 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4[*].   अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने संसद में सुरक्षा के संबंध में टिप्पणी की और उल्लेख किया कि वह इस मुद्दे पर सदस्यों से परामर्श करेंगे।

श्री राज नाथ सिंह[#] भी सुरक्षा के मुद्दे पर बोले।

अपराह्न 2.00 बजे

5.   नियम 374 के अंतर्गत सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

प्रस्ताव पेश करने से पूर्व, संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने माननीय सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी दिनांक 13.12.2023 को घटी गंभीर घटना के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री टी.एन. प्रथापन, श्री हैबी ईडन, सुश्री एस. जोतिमणि, सुश्री राम्या हरिदास और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.01 बजे पुनः समवेत हुई)

---

[*] पूर्वाह्न 11.05 बजे। मूल हिन्दी में, विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[#] रक्षा मंत्री

अपराह्न 3.01 बजे

6. नियम 374 के अंतर्गत सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री वी.के. श्रीकंदन, श्री बैन्नी बेहनन, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री पी.आर. नटराजन, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री के. सुब्बारायण, श्री एस. वेंकटेशन और श्री मणिक्कम टैगोर द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 / 24 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 261

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को **मौखिक उत्तर** के लिए नहीं **लिया जा सका।** अतः आज की कार्य-सूची में शामिल **तारांकित प्रश्न संख्या 181** से **200 (प्रश्न संख्या 186 को छोड़कर**, **जिसे** '**लोक सभा** के **प्रक्रिया** तथा **कार्य-संचालन के नियम**' **के नियम 374 के** अंतर्गत उस **सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था)** को **अतारांकित प्रश्न** माना गया **और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071** से **2300 (प्रश्न संख्या 2103**, **2140**, **2155**, **2175**, **2189**, **2242**, **2269**, **2296,** 2299 और 2300 **को छोड़कर जिन्हें** '**लोक सभा** के **प्रक्रिया** तथा **कार्य-संचालन के नियम**' **के नियम 374 के** अंतर्गत **उन सदस्यों**, **जिनके नाम पर प्रश्न** थे, **के निलंबन के कारण हटा दिया गया था**) के उत्तरों के साथ **आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।**

(व्यवधान के कारण, ***लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)***

अपराह्न 2.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 262

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने श्रीलंका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक की संसद के स्पीकर महामहिम श्री महिंदा यापा अभयवर्धना और भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का सम्मानित अतिथिगण के स्वागत की घोषणा* की ।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने कुवैत राज्य के अमीर महामहिम एच.एच. शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबाह के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने 13.12.2023 को संसद में सुरक्षा से संबंधित घटना की जांच के संबंध में टिप्पणी** की।

---

* मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

** पूर्वाह्न 11.03 बजे मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

4. लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री हनुमान बेनीवाल, निर्वाचित सदस्य ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होने 15 दिसंबर, 2023 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

5. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 203 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.14 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 204-220 के उत्तर (प्रश्न संख्या 210 और 219, जिसे 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उस सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज की कार्य-सूची में रखे गए। इसलिए उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

6. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301-2530 के उत्तर (प्रश्न संख्या 2307, 2309, 2311, 2404, 2413, 2434, 2441, 2443 और 2528, जिसे 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था,को छोड़कर) आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

7. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.734(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) 31 मई, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 104/43/लेखा-1(क) में प्रकाशित हुए थे।

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/201क/2023 जो दिनांक 21 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 22 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/201/2023 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि.622(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 4455(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 4999(अ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/74/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.743(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि.741 (अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा जुलाई, 2023 में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद के निर्वाचन के मामले में लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए, उनमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने एक अधिकरण की स्थापना की गयी है।

(तीन) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(4) **(एक)** राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में 9वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के

अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीएचडी अध्यादेश-पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं (2023 का अध्यादेश 01) जो दिनांक 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2023/01 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एमएस (एमएस डिग्री प्रदान के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) (2023 का अध्यादेश 02) जो दिनांक 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2023/01 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण, तुतुकुडी के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण, मंगलूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण, मंगलूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण, मंगलूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण, मंगलूर के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन, मुंबई के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3462(अ) जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3463(अ) जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.4111(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.4112(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.4113(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 20 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1310(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(छह) का.आ.4557(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.4558(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मई, 2017 की अधिसूचना

संख्या का.आ. 1423(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.4559(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.4560(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.4782(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ.4783(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.4784(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.4785(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1034(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.4786(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3227(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.4787(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.4788(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या

का.आ. 2209(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.4789(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.4790(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.4791(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2326(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.4792(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2327(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.4793(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.4794(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ.4867(अ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ.5056(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.5057(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ.5058(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.5059(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.5060(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ.5100(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.5101(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 515(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ.5102(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ.5103(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ.5104(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का.आ.5105(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.5106(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 502क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छत्तीस) का.आ.5107(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 701क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सैंतीस) का.आ.5108(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3409(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनएच-131क के नरेनपुर-पूर्णिया खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3410(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के कझाकुट्टम एलीवेटेड राजमार्ग खंड और तिरुवनंतपुरम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.3411(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच एनएचई-4 पर दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे की 8 लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.3500(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के भदगांव-चालीसगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.3501(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ग के गढ़चिरौली-अष्टी खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ.3502(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-166ड. के कराड से वीटा खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.3575(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनएच-151क का ध्रोल-भद्र और भद्रपाटिया-पिपलिया खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.3610(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709ख के साथ 7.8 किमी की ओवरलैप लंबाई को छोड़कर शामली-मुजफ्फरनगर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.3611(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1062(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.3612(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-150क के चल्लाकेरे से हिरियूर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.3784(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161क के अकोला-देवरी-अकोट खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.3785(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965छ के सांगोला-जाठ खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ.3786(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-209 (नया एनएच-83) के कमलापुरम-ओड्डनचत्रम खंड, ओड्डनचत्रम बाईपास खंड, ओड्डनचत्रम-मदाथुकुलम खंड, मदाथुकुलम-पोल्लाची खंड और पोल्लाची-कोयम्बटूर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ.3801(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-461ख के मालेगांव-रिसोड के पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ.3802(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ट के नंदगांव पेठ-मोरशी खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ.3803(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-543 के देवरी से अमगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ.3808(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ख के ओमेरगा से औसा खंड के पेव्ड सोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ.3809(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ङ के चिमूर से वारोरा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ.3810(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ञ के मोरशी-चंदुरबाजार अचलपुर खंड के पेव्ड सोल्डर वाले खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.3821(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753क के चिखली-ताकरखेड भगाइल खंड की चार और उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ.3822(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-67 (पुराना एनएच-63) के कर्नाटक/आन्ध्र सीमा से गूटी खंड की चार या उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ.3823(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के बीजापुर-हुबली खंड के पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन की परियोजना

के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ.3824(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-161क के अरनी-नायगांवबंदी खंड और पोहरादेवी लिंक तथा दिगरस टाउन पुनर्संरेखण की 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ.3825(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पाटस-बारामती खंड के चार और उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ.3833(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ङ के अजंता-बुलढाणा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ.3834(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161क के अरनी-नायगांवबंदी खंड और पोहरादेवी लिंक तथा दिगरस टाउन पुनर्संरेखण के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सताईस) का.आ.3835(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ग के सकोली भंडारा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.3887(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ख के बामनी से नवेगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ.3888(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के अधलगांव से जामखेड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.3889(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में एनएच-167 के मिरयालागुडा से कोडाड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ.3912(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ट के मोरशी-वरुद पांढुर्ना एमएएच/एमपी सीमा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ.3913(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के जलगांव-भगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ.3966(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के चालीसगांव-नंदगांव-मनमाड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौंतीस) का.आ.4056(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.3319(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.4059(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-61 के अहमदनगर बाईपास से खारवंडी कसार खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ.4083(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361ग के दिगरास-दरवाह-करंजा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ.4338(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-95 के 85.980 किमी से 170.000 किमी तक लुधियाना से तलवंडी की चार या उससे अधिक लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ.4339(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153(ख) के नकटीदेउली-बौध खंड के 2एलपीएस+4एल के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ.4353(अ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना एनएच 8) के उदयपुर बाईपास की चार लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ.4388(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753 के मानसर-सलाईखुर्द-तिरोरा के 2एलपीएस/4एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ.4389(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548ग के अंजनगांव-मध्य प्रदेश सीमा के 2एलपीएस/4 एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ.4390(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के गढ़चिरौली – मुल खंड के 2एलपीएस/4 एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ.4490(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर रीवा बाईपास खंड के लिए निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ.4504(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544ड. के पेव्ड मदाकासिरा से सिरा खंड (एपी/केएनटी/सीमा तक) के दो लेन के खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ.4624(अ) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-4 के गब्बर से देवगिरि तक चार लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ.4625(अ) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में ब्यावर-आसींद खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ.4637(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (पुराना एनएच-6) के रायपुर-औरंग खंड के चार लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ.4820(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के मंजरसुम्भा खंड के पिंपला जंक्शन के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ.4821(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के अहमदपुर से पिंपला खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ.4822(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्य में नए एनएच-44 (पुराने एनएच-1) के पानीपत से जालंधर खंड के चार लेन या उससे अधिक की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ.4823(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-648 के डोडाबल्लापुर बाईपास से होसकोटे तक चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बावन) का.आ.4919(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ईपीसी पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच 548घ के न्हावरा से अधलगांव खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तिरपन) का.आ.4920(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के चित्तपुर-यादगीर बाईपास खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(3) (एक) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(5) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव) भर्ती नियम, 2022, जो दिनांक 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.396(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2023 जो दिनांक 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/12 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय उत्पादन पारेषण वितरण टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023 जो दिनांक 10 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/13 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें)

विनियम, 2019 जो दिनांक 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़.सं.जेईआरसी-25/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-8/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 22 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-28/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी1 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विद्युत प्रणाली विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) माल और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (27वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.813(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10घ) अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त, 2023 के परिपत्र सं. 2023 का 15 जिसके द्वारा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 888(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में थाईलैंड और ईरान से आयातित "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4 ए" पर 5 वर्ष की अवधि के

लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 884(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 8.12.2023 से दिनांक 31.3.2024 तक पीली मटर के आयातों पर लागू 50 प्रतिशत आयात शुल्क में छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/142 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू संपदा निवेश ट्रस्ट) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/144 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 जो 9 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155 में

प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/157 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू संपदा निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/160 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/141 जो दिनांक 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2023 का उप-विनियम 3 राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से लागू होगा और 1 जनवरी, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे उसमें उल्लिखित उक्त विनियमों के उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर 2023 तो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा.396(2)/2023/आरबी में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन

राम मेघवाल) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) समग्र शिक्षा राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) पटना मेट्रो रेल लिमिटेड, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पटना मेट्रो रेल लिमिटेड, पटना का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एरणाकुलम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एरणाकुलम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2023 जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल, मैंगलोर के वर्ष **2022-2023**

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल, मैंगलोर के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष **2021-2022** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष **2021-2022** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त **(29)** में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्काड के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्काड के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्कड़ के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष **2022-2023** के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष **2022-2023** के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, **2017** की धारा **37** के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) नियम, **2022,** जो दिनांक **20** अप्रैल, **2022** के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.**302**(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) नियम, **2023,** जो दिनांक **11** नवम्बर, **2023** के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.**834**(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) उपर्युक्त **(38)** की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) वास्तुविद् अधिनियम, **1972** की धारा **44** की उप-धारा **(3)** के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (संशोधन) नियम, **2023** जो **25** अगस्त, **2023** के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. **623**(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी स्वीकार करना) विनियम, 2000 जो दिनांक 16 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/डीएसी/पी-7/2000 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 2015 जो दिनांक 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीडीओ/ओएम/एसएम/16/एसपीएल/1042 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (शेयरधारक निदेशक) विनियम, 2023 जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एस-14014/14/2022-आईएनएस.आई**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारियों के लिए यात्रा पर दैनिक भत्ता और होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.608**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रथम वर्ग अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.610**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.611**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.662**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.828**(**अ**)** में प्रकाशित हुए थे।

(7) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की समेकित समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वड़ोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वड़ोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, धारवाड़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, धारवाड़

के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, द गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, द गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा, लेह के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा, लेह के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (अर्हताओं की मान्यता) विनियम, 2023 जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एसईसी/एनसीआईएसएम/आरईजी(1)/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा अनुसंधान) विनियम, 2023 जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एसईसी/एनसीआईएसएम/विनियम/ 2023-1 में प्रकाशित हुए थे।

अपराहन 12.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

8. **महासचिव** ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) राज्यसभा 13 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्यसभा 13 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

9. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की निष्पादन लेखापरीक्षा'संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

(2) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड का कार्यकरण'संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

(3) 'कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा'संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(4) 'औषध उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट'संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(5) 'अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि - दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय'संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

(6) 'एक्स-इंजनों की खरीद'संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

(7) 'उच्च ऊँचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण'संबंधी 55वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

10. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रवनीत सिंह की ओर से श्री राम शिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी **ने** 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा'विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मेंरोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2023-24) का

26वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)मेंरोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2023-24) का 27वां प्रतिवेदन।

13. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

14. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 152वां प्रतिवेदन।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 153वां प्रतिवेदन।

(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 154वां प्रतिवेदन। ।

(4) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 104वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 155वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन (17वीं

लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 156वां प्रतिवेदन।

(6) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 99वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 157वां प्रतिवेदन।

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 102वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 158वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वड़ोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 108वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 159वां प्रतिवेदन ।

15. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वस्त्र मंत्रालय के 'सुरक्षात्मक वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (का.आ.1707(ङ)' में खामियों के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष मंत्रालय के 'आयुर्वेद/होम्योपैथी स्नातक और आयुर्वेद/होम्योपैथी में उच्चतर अध्ययन के लिए अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को अनुशासित करने वाले अधिनियम/नियम/विनियम/उप-विधियां' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन ।

(3) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान यथा नियम/विनियम आदि को बनाए जाने की स्थिति और नियमों को रखे जाने में विलंबके बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी

34वां प्रतिवेदन ।

16. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन'विषय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन(17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर रेल संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

17*. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुब्रत पाठक ने श्रीमती लॉकेट चटर्जी की ओर से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारत में चीनी उद्योग- एक समीक्षा' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

18. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुब्रत पाठक ने उपभोक्ता मामले,खाद्यऔर सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

19. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

---

* अपराहन 12.12 बजे

श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की-गई-कार्रवाई पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

20. **ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2023-24)'के बारे में 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2023-24)'के बारे में 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)'के बारे में 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

21. मंत्रियों द्‌वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्‌ट) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन का संवर्धन- विदेशी पर्यटक कार्यालयों और भारतीय दूतावासों की भूमिका'के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 343वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.13 बजे

22. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

दूर संचार विधेयक, 2023 ।

श्री रितेश पांडे ने विधेयक को पुरस्थापित किए जाने का विरोध किया और संचार मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) से स्पष्टीकरण मांगा।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

23. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1) श्री अक्षयवर लाल द्वारा उत्तर प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों को कथित रूप से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में ।

2) श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा द्वारा एनेगुंडी और अयोध्या को जोड़ने के लिए

एक रेलगाड़ी शुरू करने के बारे में ।

3) डॉ. बिसेन ढाल सिंह द्वारा नागपुर-सिवनी-जबलपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन के निर्माण के बारे में ।

4) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर तालुके में जीर्ण-शीर्ण डाकघर भवन के पुनर्निर्माण के बारे में ।

5) श्री आर.के.सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-35 पर बाईपास सड़कों के निर्माण के बारे में ।

6) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा इज्जतनगर के कुछ क्षेत्रों को मंडल रेल प्रबंधक, मुरादाबाद के अधीन लाने की आवश्यकता के बारे में ।

7) श्री विजय बघेल द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में लगे रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के बारे में ।

8) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 14803/14804 के ठहराव के बारे में ।

9) श्री मुकेश राजपूत द्वारा गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड इकॉनोमिक कॉरिडोर में फर्रुखाबाद जिले को शामिल करने के बारे में ।

10) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना के निर्माण के बारे में ।

11) श्री अजय निषाद द्वारा सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा के बारे में ।

12) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13) श्री संजय सेठ द्वारा मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति

बनाने की आवश्यकता के बारे में ।

14) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में।

15) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु में रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।

16) श्री कुंबाकुडी सुधाकरन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कन्नूर बाईपास के निर्माण के बारे में।

17) डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा होगेनक्कल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देने के बारे में ।

18) श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू द्वारा कलाकारों के लिए रेलवे रियायत की बहाली के बारे में ।

19) प्रो. सौगत राय द्वारा छात्रों में आत्महत्या के मामलों के बारे में।

20) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में ।

21) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, कोसी एवं महानंदा नदियों से आई बाढ़ एवं भू-कटाव के बारे में ।

22) श्री अनुभव मोहंती द्वारा भारत में पुरुषों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं के बारे में।

23) कुंवर दानिश अली द्वारा देश में इथेनॉल उत्पादन के बारे में ।

24) श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा बिहार में हसनपुर से बरौनी तथा सिमरी बख्तियारपुर से बिहारीगंज तक रेल लाइन बिछाने के बारे में ।

25) श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद द्वारा लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनीदिवि द्वीप समूह भूमि राजस्व और किरायेदारी विनियमन, 1965 में संशोधन के बारे में ।

26) श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के बारे में ।

अपराहन 2.01 बजे

24. सरकारी विधेयक - पारित

डाकघर विधेयक, 2023, राज्यसभा द्वारा यथापरित ।

आवंटित समय: **2** घंटे

लिया गया समय: **1** घंटे 04 मिनट

श्री अश्वनी वैष्णव की ओर से श्री देवुसिंह चौहान द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर दिनांक 13.12.2023 को विचार करने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
(2) श्री भोला सिंह
(3) श्री प्रतापराव जाधव
(4) श्री रामशिरोमणि वर्मा

श्री देवुसिंह चौहान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण,लोक सभा अपराहन 2.23 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.45 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.45 बजे

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री देवुसिंह चौहान द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित हुआ।

(व्यवधान के कारण,लोक सभा अपराह्न 2.48 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 3.00 बजे

25. नियम 374 के अधीन सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

अध्यक्षपीठ ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम **374** के अधीन अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की अवमानना किए जाने और सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया है:-

1. श्री कल्याण बनर्जी
2. श्री ए. राजा
3. श्री दयानिधि मारन
4. डॉ. के. जयकुमार
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री प्रसून बनर्जी
7. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
8. श्री जी. सेल्वम
9. श्री सी.एन. अन्नादुरई
10. श्री अधीर रंजन चौधरी
11. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
12. श्री के. नवासखनी
13. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
14. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

15. प्रो. सौगत राय
16. श्रीमती शताब्दी राय
17. श्री असित कुमार मल
18. श्री कौशलेन्द्र कुमार
19. श्री एंटो एन्टोनी
20. श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम
21. श्री अब्दुल खालेक
22. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
23. श्री विजय कुमार (उर्फ) विजय वसंत
24. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
25. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
26. श्री के. मुरलीधरन
27. श्री सुनील कुमार मंडल
28. श्री एस. रामलिंगम
29. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
30. डॉ. अमर सिंह
31. श्री राजमोहन उन्नीथन
32. श्री गौरव गोगोई
33. श्री टी.आर. बालू

तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए. राजा, श्री दयानिधि मारन, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्री जी. सेल्वम, श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉ. टी. सुमति(ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री के. नवासखनी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री एंटो एन्टोनी, श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम, श्री सु. थिरुनवुक्करासर, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्री के. मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस. रामलिंगम, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई तथा श्री टी.आर. बालू द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नामित किए जाने पर, यह संकल्प लेती है

कि नियम 374 (2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

26. सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

" कि डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजय कुमार (उर्फ) विजय वसंत, संसद सदस्यों को सभा में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आने तक निलंबित किया जाए। उपरोक्त सदस्यों के आचरण को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया जाए और समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.04 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 / 28 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 263

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण,लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 222-240 के उत्तर (प्रश्न संख्या 231 और 235, जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न था, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज की कार्य-सूची में रखे गए। इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531-2760 के उत्तर (प्रश्न संख्या 2531, 2541, 2551, 2564, 2567, 2573, 2575, 2598, 2599, 2603, 2605, 2610, 2627, 2646, 2653, 2678, 2684, 2693, 2695, 2701, 2707, 2712, 2724, 2726 और 2732, जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने की अपील की।

मध्याह्न 12.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 12.30 बजे

4. सदस्यों का सभा की सेवा से नियम 374 के अधीन निलंबन

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित सदस्यों को अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की अवमानना करने और सभा की कार्यवाही में लगातार और जानबूझकर बाधा डालकर नियमों का दुरुपयोग करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374 के अधीन नामित किया है:-

1. श्री वी. वैथिलिंगम
2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्रीमती सुप्रिया सुले
4. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
5. एडवोकेट अदूर प्रकाश
6. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
7. श्री मनीश तिवारी
8. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
9. श्री गिरिधारी यादव
10. श्रीमती गीता कोडा
11. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
12. श्री एस. जगतरक्षकन
13. श्री एस.आर. पार्थिबन
14. डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला

---

* पूर्वाह्न 11.02 बजे मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

15. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत
16. श्री ए. गणेशमूर्ति
17. श्रीमती माला राय
18. श्री पी. वेलुसामी
19. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
20. डॉ. शशि थरूर
21. श्री मोहम्मद सदीक
22. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
23. श्री पी.पी. मोहम्मद फैजल
24. श्रीमती साजदा अहमद
25. श्री जसबीर सिंह गिल
26. श्री कार्ती पी चिदम्बरम
27. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
28. श्रीमती डिम्पल यादव
29. श्री हसनैन मसूदी
30 कुंवर दानिश अली
31. श्री खलीलुर रहमान
32. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
33. डॉ. डी.एन.वी. एस. सेंथिलकुमार
34. श्री संतोष कुमार
35. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
36. श्री रवनीत सिंह बिट्टू
37. श्री दिनेश चन्द्र यादव
38. श्री कुंबाकुडी सुधाकरन
39. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
40. श्री सुशील कुमार रिंकू
41. श्री महाबली सिंह
42. श्री सुनील कुमार
43. डॉ. एस.टी. हसन

44. श्री धनुष एम. कुमार
45. श्रीमती प्रतिभा सिंह
46. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
47. श्री चन्देश्वर प्रसाद
48. डॉ. आलोक कुमार सुमन
49. श्री दिलेश्वर कामैत

तत्पश्चात, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री वी. वैथिलिंगम, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी, श्री मनीश तिवारी, श्री प्रद्युत बोरदोलोई, श्री गिरिधारी यादव, श्रीमती गीता कोडा, श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा, श्री एस. जगतरक्षकन, श्री एस.आर.पार्थिबन, डॉ. फारूख़ अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत, श्री ए. गणेशमूर्ति, श्रीमती माला राय, श्री पी. वेलुसामी, डॉ. ए. चेल्लाकुमार, डॉ. शशि थरूर, श्री मोहम्मद सदीक, डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद, श्री पी.पी. मोहम्मद फैजल, श्रीमती साजदा अहमद, श्री जसबीर सिंह गिल, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री हसनैन मसूदी, कुंवर दानिश अली, श्री खलीलुर रहमान, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, डॉ. डी.एन.वी. एस. सेंथिलकुमार, श्री संतोष कुमार, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, श्री रवनीत सिंह बिट्टू, श्री दिनेश चन्द्र यादव, श्री कुंबाकुड़ी सुधाकरन, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री सुशील कुमार रिंकू, श्री महाबली सिंह, श्री सुनील कुमार, डॉ.एस.टी. हसन, श्री धनुष एम. कुमार, श्रीमती प्रतिभा सिंह, डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन, श्री चन्देश्वर प्रसाद, डॉ. आलोक कुमार सुमन तथा श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नामित किए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374(2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.38 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल), सूबेदार (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल) और नायब सूबेदार (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल), समूह 'ख' युद्धक पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 7 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.128 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.718(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, हेड कांस्टेबल (कुक, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर एंड सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.599(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.582(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष संरक्षा ग्रुप नियम, 2023 जो दिनांक 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक (गैर-राजपत्रित) मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिक काडर पद भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.151 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ग' टेक (आर्मामेंट) काडर भर्ती नियम, 2023, जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.152 में प्रकाशित हुए थे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) संघ सरकार- वर्ष 2022-2023 के लिए वित्त लेखे

(2) संघ सरकार- वर्ष 2022-2023 के लिए विनियोग लेखे (सिविल)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

(ग) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (क), (ग), (घ) और (ड.) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 5077(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स जुआरी फार्म हब लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 5078(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स जुआरी फार्म हब लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया उर्वरक के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 5079(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 1048(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 5080(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स द एनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्टीट्यूट इन इंडिया द्वारा भारत में निर्मित किए जाने वाले नैनो फास्फोरस (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए

अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 5081(अ) जो 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, मैसर्स फर्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में आयातित उर्वरकों के विनिर्देश को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(9) (एक) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) गुरुकुल कम्प्यूटर एजुकेशन, बिजनोर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुरुकुल कम्प्यूटर एजुकेशन, बिजनोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अधिसूचना सं. 41/2023- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 5000 रुपए / एमटी से घटाकर 1300 रूपए / एमटी करने तथा एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य / लीटर से बढ़ाकर 1 रुपया/ लीटर करने के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 42/2023- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 1 रुपया/ लीटर से घटाकर 0.50 रुपया / लीटर करने के बारे में दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अपराहन 2.07 बजे

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्यसभा 18 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्यसभा 18 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराहन 2.08 बजे

7. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक सदस्य के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने का अवकाश प्रदान किया गया था:-

1.	श्री संजय शामराव धोत्रे	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023 तक
2.	श्री अतुल कुमार सिंह *उर्फ* अतुल राय	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023 तक
3.	श्री अर्जुन लाल मीणा	04.12.2023 से 22.12.2023 तक
4.	श्री मोहम्मद अकबर लोन	18.09.2023 से 21.09.2023; और 04.12.2023 से 22.12.2023 तक
5.	श्री सन्नी देओल	02.02.2023 से 13.02.2023 तक; 13.03.2023 से 06.04.2023 तक; और 20.07.2023 से 10.08.2023 तक

8. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सिंह ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से गुवाहाटी में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री तोकेही येपथोमी के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) विशेष रूप से मेघालय स्थित सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के कार्यकरण को नियमित करने की आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री आर. मराक के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) मुंबई में इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के एटीएमों में बढ़ती धोखाधड़ी-एटीएम लेन-देन के लिए प्रभावी रणनीति पुन: तैयार करने की तत्काल आवश्यकता और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री अभिषेक के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) में प्रस्तावित संशोधनों और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के बारे में सर्वश्री रजनीकांत पी. पटेल और सुधीर साबले तथा श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-3) के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों की कथित रूप से मनमाने ढंग से स्वीकृति के बारे में श्री हनुमान बेनीवाल, पूर्व संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 44वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(6) बेतूल, साउथ गोवा में प्रशिक्षण संस्थान नामत: पेट्रोलियम सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (आईपीएसएचईएम) के पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में श्री दीपक

शर्मा के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(7) पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों की राशि लौटाने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की कथित मनमानी के बारे में श्री गौरव कुमार सोनी और अन्य के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 50वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(8) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मेघालय और असम में वन भूमि के अतिक्रमण और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में श्री फिलिपसन के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

9. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री खगेन मुर्मु ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 91वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 92वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 93वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 94वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 95वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 96वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 97वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

10. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कनकमल कटारा ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'देश में मवेशियों में लम्पी त्वचा रोग का फैलाव और उससे संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

11. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री कनकमल कटारा ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 51वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 52वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 54वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 55वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(6) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 56वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

12. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 34वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) 'बायो ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा - शहरी, औद्यागिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा की प्राप्ति और ऊर्जा प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका' विषय के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

13. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री संजय सेठ ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

14. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मितेष रमेशभाई पटेल ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में पहलें' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) का 37वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भण्डारण विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का कार्यकरण' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) का 38वां प्रतिवेदन।

15. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सत्यदेव पचौरी ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'कीटनाशी और नाशकजीवमार - सुरक्षित उपयोग सहित संवर्धन और विकास - कीटनाशियों के लिए लाइसेंसी व्यवस्था' विषय के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मृदा उर्वरता बनाये रखने के लिए नैनो-उर्वरक' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(4) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(5) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'यूरिया राजसहायता योजना को जारी रखने की आवश्यकता सहित उर्वरक राजसहायता नीति और मूल्य निर्धारण मामले' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

16. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री सत्यदेव पचौरी ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'बंद और रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वैक्सीन विकास, वितरण प्रबंधन और वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रशमन के बारे में

137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गइ-कार्रवाई संबंधी 150वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के बारे में 151वां प्रतिवेदन।

18. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा ।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा ।

अपराहन 2.14 बजे

19. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम की आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1) डॉ. जय सिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में।

2) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा उदंती नदी के जल को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के जलाशयों में भेजने की आवश्यकता।

3) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा मुंबई में लंबित परियोजनाओं को पर्यावरणीय

मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता।

4) सुश्री सुनीता दुग्गल द्वारा सिरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली की संस्थापना के बारे में।

5) डॉ. चन्द्र सेन जादौन द्वारा फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांच उद्योग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के बारे में।

6) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुरगि रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ियों के परिचालन और ठहराव के बारे में।

7) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय विवरणों में कथित अनियमितताओं के बारे में।

8) सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में रेलवे उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

9) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परकोटा के आसपास भूमिगत विद्युत केबल बिछाए जाने की आवश्यकता ।

10) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा रायचूर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में।

11) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा में बारगढ़ जिले में रेल लाइन के शीघ्र पूरा होने के बारे में।

12) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा बिलासपुर-हापुड़ रेलगाड़ी का विस्तार द्वारका और रायपुर तक किए जाने की आवश्यकता।

13) श्री अनुराग शर्मा द्वारा अमृत 2.0 योजना के कार्यान्वयन में विलंब और खामियों के साथ ही इसके अनुमानित बजट के बारे में।

14) श्री राजेश वर्मा द्वारा लखनऊ-सीतापुर रेल लाइन के दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता।

15) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों की

स्थापना किए जाने और सीएनजी की आपूर्ति के बारे में।

16) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार किए जाने और विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में चक्रवात या बाढ़ के दौरान वास्तविक स्थिति की जानकारी बिलकुल समय पर दिए जाने की आवश्यकता ।

17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा कलहट और निगडे गांवों को इको-सैंसिटिव जोन से बाहर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता ।

18) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश में फुटवियर उद्योग के उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों में छूट के बारे में।

19) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय की अनुमति के बारे में।

20) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाडलसे परियोजना को शामिल किए जाने और सेवन बैलून प्रोजेक्ट के संचालन के बारे में ।

अपराहन 2.15 बजे

20. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023

आवंटित समय: **3** घंटे

लिया गया समय: **49** मिनट

श्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री रमेश बिधूड़ी
(2) श्री प्रवेश साहिब सिंह
(3) श्री राहुल रमेश शेवाले

श्री हरदीप सिंह पुरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 3.04 बजे

(दो) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 ।

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 50 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री निशिकांत दुबे
(2) श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
(3) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
(4) श्री शंकर लालवानी
(5) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 3.54 बजे

(तीन) अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023 ।

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 21 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री जयंत सिन्हा
(2) डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 4.14 बजे

21. प्रस्ताव

श्री नित्यानन्द राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 66 के परंतुक को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों, जहां तक ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं, के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.16 बजे

22. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

आवंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 44 मिनट

शेष समय: 7 घंटे 16 मिनट

(1) *भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023*

(2) *भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023*

(3) *भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023*

श्री अमित शाह ने विधेयकों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) डॉ. तालारी रंगैय्या

(2) श्री रवि शंकर प्रसाद

(3) श्री गजानन कीर्तिकर

(4) श्री भर्तृहरि महताब

(5) श्री विष्णु दयाल राम

(6) श्री प्रिंस राज

(7) श्री तेजस्वी सूर्या

(8) डॉ. सत्यपाल सिंह

(9) श्री पी.पी. चौधरी

(10) श्री दिलीप शइकीया

(11) श्री गणेश सिंह

(12) श्री राम कृपाल यादव

(13) श्री जगदम्बिका पाल

(14) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

(15) श्रीमती सुनीता दुग्गल

(16) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

(17) श्रीमती जसकौर मीना

(18) प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 9.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 / 29 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 264

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 242 और 244 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण,लोक सभा पूर्वाह्न 11.26 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 245-260 के उत्तर (प्रश्न संख्या 243, 245, 246, 255 और 256 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज की कार्य-सूची में रखे गए। इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761-2990 के उत्तर (प्रश्न संख्या 2765, 2772, 2773, 2776, 2780, 2786, 2789, 2791, 2803, 2804, 2806, 2811, 2821, 2823, 2828, 2829, 2831, 2832, 2845, 2847, 2858, 2859, 2864, 2876, 2879, 2881, 2883, 2884, 2885, 2888, 2898, 2910, 2912, 2915, 2919, 2924, 2937, 2945, 2949, 2954, 2955, 2957, 2962, 2969, 2970, 2983, 2984 और 2987, जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न

थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, श्री थोमस चाज़िकाडन, श्री विजय कुमार और श्रीमती कविता सिंह सदस्यों को चेतावनी दी और उनसे सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की ।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* पूर्वाहन 11.26 बजे मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(4) (एक) मुम्बई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग-मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग-मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी बंगलोर, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी बंगलोर, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडंकी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) कन्सलटेंसी डेवपलमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कन्सलटेंसी डेवपलमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्‌वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज (इलाहाबाद) के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आईआरईएल लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईआरईएल लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना का वर्ष

2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) इंडियन वैक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर

रखी :-

(1) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2023, जो दिनांक 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020, जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.681(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4221(अ) में प्रकाशित हुए था।

(दो) विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4826(अ) में प्रकाशित हुए था।

(3) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. का.आ. 4128(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अक्टूबर, 2023 के प्रथम दिवस को उस तारीख के रूप में नियत किया गया जिस दिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक यह क्रम संख्या 40 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसकी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, लागू होंगे।

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मयार्दित, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मयार्दित, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मयार्दित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मयार्दित, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनएलसी इण्डिया लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएलसी इण्डिया लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम कोलियरीज का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता, और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता, और उसकी आनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक, खंड दो - भाग एक, दो और तीन) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) मिनरल एक्स्प्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन), नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्स्प्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में मिनरल एक्स्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन), नागपुर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेकैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति।

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवेलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर, के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवेलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भांडागारण विकास और विनियमक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भांडागारण विकास और विनियमक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केंद्रीय भंडारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के मध्य बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक ज़ोन (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) (एक) ईओयू और एसईज़ेड हेतु निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईओयू और एसईज़ेड हेतु निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(4) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(5) (एक) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड भारत, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(6) (एक) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड भारत, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति।

(7) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) (एक) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव

चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) प्रगत संगणक विकास केंद्र, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगत संगणक विकास केंद्र, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2023 दिनांक जो 3 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एचक्यू-

13073/1/2020-एयूटीएच.II (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023 जो 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सख्या. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आधार (अधिप्रमाणन के निष्पादन हेतु शुल्क का भुगतान) विनियम, 2023 जो 26 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एचक्यू-13073/1/2020-एयूटीएच.II-एचक्यू (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आधार (नामांकन और अपडेट) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचक्यू-21026/1/2022/लीगल-एचक्यू (ई) में प्रकाशित हुए थे।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.02 (अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारी के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3381 (अ) जो दिनांक 28 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन दिनांक 19.12.2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा लोक सभा में उनका कार्यकाल पूरा होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में विधिवत् रूप से निर्वाचित होने पर उसमें उल्लिखित लोक सभा के सदस्यों के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3860 (अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन दिनांक 10.08.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सभा में उनका कार्यकाल पूरा होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में विधिवत् रूप से निर्वाचित होने पर उसमें उल्लिखित राज्य सभा के सदस्य के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4878 (अ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन

दिनांक 16.10.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्ति के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(पाँच) का.आ. 5001 (अ) जो दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित व्यक्ति के नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।

(8) उपर्युक्त (7) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (सास्मिरा), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (सास्मिरा), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल

पर रखे:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्यसभा 12 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023, में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्यसभा 12 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्यसभा 19 दिसंबर 2023 को हुई अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा यथापारित, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

(1) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वस्त्र समिति, मुंबई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 160वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं

को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 161वां प्रतिवेदन।

(3) विनिधानकर्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 162वां प्रतिवेदन।

(4) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 121वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 163वां प्रतिवेदन।

(5) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 122वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 164वां प्रतिवेदन।

(6) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(7) समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 167वां प्रतिवेदन।

(9) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 144वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 168वां प्रतिवेदन।

(10) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओईआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 169वां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार पुजारी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास संपदाओं का प्रबंधन और निपटान) संशोधन विनियम, 2022 [का.आ.753(अ)] में खामियो के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय के भारतीय संग्रहालय, कोलकाता समूह 'क' और 'ख' भर्ती नियम, 2022 [सा.का.नि.209(अ)] में खामियो के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(3) समिति (17वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन ।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चुन्नी लाल साहू ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन (बीवीएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)' में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

9. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 42वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास

संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'जी 20 देशों के साथ भारत के संबंध' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश विधूड़ी ने 'कच्चे तेल के आयात संबंधी नीति की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति (2023-24) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया ।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश विधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'सीबीजी (सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'अनुदानों की मांगें 2023-24' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई

को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तेल संस्थापनाओं की सुरक्षा और संरक्षा - बाघजान विस्फोट दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

13. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय बाल श्रम नीति - एक मूल्यांकन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 52वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया ।

14. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो ने भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का संवर्धन' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 324वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर किया।

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) की ओर से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री;

परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 89) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 376वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 376वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 383वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:-

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्युमिनियम और तांबा उद्योग का विकास' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 171वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(6) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.12 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा अंकलेश्वर-बुरहानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण के बारे में।

2) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा आदिवासियों को उनके द्वारा खेती की जाने वाली

वन भूमि का स्वामित्व अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3) डॉ जयंत कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न की कथित चोरी के बारे में।

4) श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता।

5) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए न्यायालयों की स्थापना के बारे में

6) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण पुलिस स्टेशनों में जब्त रखे गए वाहनों हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख में पीएम मित्र पार्क के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

8) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में।

9) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के माल्दहा उत्तर में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के बारे में।

10) श्री भोला सिंह द्वारा नोएडा/ग्रेटर नोएडा में ठप पड़ी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपायों के बारे में।

11) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में सैनिक विद्यालय की स्थापना के बारे में।

12) श्री रमाकान्त भार्गव द्वारा देश में जिला और ब्लॉक स्तरों पर खेल अवसंरचना के विकास के बारे में।

13) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में।

14) श्री राजू बिष्ट द्वारा उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना के बारे में।

15) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में तमिल को अंगीकार किए जाने के बारे में

16) श्री रघु राम कृष्ण राजू कनुमुरु द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 20833-84)

का ताडेपल्लिगुडेन रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17) श्री अरविंद सावंत द्वारा पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान करने के बारे में।

18) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा गोपालपुर-रायगढ़ रेल परियोजना के बारे में।

19) श्री राम शिरोमणि द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में।

20) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में विस्थापित व्यक्तियों के लिए विस्थापन और पुनर्वास अधिकरण का गठन किए जाने के बारे में।

21) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सोनिया विहार में नागरिक सुविधाओं के विकास के बारे में।

22) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं/सहायकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान किए जाने और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता।

अपराहन 12.12 बजे

17. सरकारी विधेयक - पारित

(एक) *भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023*

(दो) *भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023*

(तीन) *भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023*

आवंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 9 घंटे 29 मिनट

श्री अमित शाह द्वारा 19.12.2023 को इन विधेयकों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ निशिकांत दुबे
2. श्री असादुद्दीन ओवैसी
3. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
4. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
5. श्री रमेश बिधूड़ी
6. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
9. श्री जुगल किशोर शर्मा
10. सुश्री चन्द्राणी मुर्मु
11. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
12. डॉ जयंत कुमार राय
13. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
14. श्रीमती पूनम महाजन
15. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
16. श्रीमती हेमा मालिनी

श्री अमित शाह ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 से 63 स्वीकृत हुए।

खंड 64 से 102 स्वीकृत हुए।

खंड 103 से 105 स्वीकृत हुए।

खंड 106 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 107 से 116 स्वीकृत हुए।

खंड 117 स्वीकृत हुआ।

खंड 118 से 138 स्वीकृत हुए।

खंड 139 से 196 स्वीकृत हुए।

खंड 197 से 358 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा, विधेयक को, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

(दो) श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 531 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

(तीन) श्री अमित शाह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 170 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

18. *नियम 374 के अंतर्गत सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री थोमस चाज़िकाडन तथा एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नामित किए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.57 बजे

19. सरकारी विधेयक - पारित

दूर संचार विधेयक, 2023

आवंटित समय: **1** घंटे 04 मिनट

श्री अश्वनी वैष्णव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) डॉ. संजीव कुमार शिंगरी

(2) श्री जयंत सिन्हा

(3) श्री भर्तृहरि महताब

(4) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

श्री अश्वनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 59 स्वीकृत हुए।

खंड 60, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 61, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 62, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 21 दिसंबर, 2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2023 / 30 अग्रहायण, 1945 (शक)

संख्या 265

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री बबनराव ढाकणे, सदस्य, नौवीं लोक सभा तथा श्री धर्मन्ना मन्दय्या सादुल, सदस्य, नौवीं और दसवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 270 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 271-280 के उत्तर (प्रश्न संख्या 272, 277 और 280 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज की कार्य-सूची में रखे गए। इसलिए, उन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991-3220 के उत्तर (प्रश्न संख्या 2992, 3002, 3004, 3007, 3016, 3017, 3018, 3021, 3040, 3041, 3043, 3057, 3058, 3061, 3062, 3063, 3065, 3079, 3081, 3082, 3085, 3094, 3096, 3103, 3111, 3124, 3128, 3139, 3140, 3142, 3143, 3147, 3150, 3156, 3157, 3160, 3162, 3163, 3165, 3172, 3173, 3178, 3189,

3191, 3194, 3204, 3206, 3212 और 3213 जिन्हें 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के नियम 374 के अंतर्गत उन सदस्यों, जिनके नाम पर प्रश्न थे, के निलंबन के कारण हटा दिया गया था, को छोड़कर) आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने श्री डी. के. सुरेश, श्री दीपक बैज तथा श्री नकुल कमल नाथ को चेतावनी दी और उनसे प्लाकार्ड,फटे कागज नहीं दिखाने एवं सभा की कार्यवाही को बाधित नहीं करने की अपील की ।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

---

* मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(तीन) अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2023 जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का.आ.3800(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3947(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 12 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो 5 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2023 जो 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2023 जो 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2023 जो दिनांक 23 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/15 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन लेखापरीक्षा) विनियम, 2023 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/14 में प्रकाशित हुए थे।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एफ.सं. आरए-14026(11)/4/2020-सीईआरसी जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्रशुल्क नियतन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 की प्रयोज्यता की अवधि का 31 मार्च, 2024 तक विस्तार किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023, दिनांक 01.10.2023 से लागू होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझा किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 के कतिपय उपबंध आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होने को अधिसूचित किया गया है।

(चार) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 के कतिपय उपबंध अधिसूचित किए गए हैं।

(पांच) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझा किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्र) लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्र) लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों – दिसंबर 2023 के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रगति प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव

चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सेनिटेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सेनिटेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र- पुडी (विशाखापत्तनम) के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र- पुडी (विशाखापत्तनम) के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई – टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल), जालंधर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल), जालंधर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) एमएसएमई – टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड.की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – कलिंग संस्मारक, कर्णपुर, देहरादून, उत्तराखंड।

(दो) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – ''दी काज़ मेन बिल्डिंग्स, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उप-विधियां 2023.

(तीन) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – ''गुणवती ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, राधाकिशोरपुर, गोमती, त्रिपुरा।

(चार) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(पांच) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – भवनेश्वरी टेम्पल, राजनगर, गोमती, त्रिपुरा।

(2) (एक) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 61 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) 2023, जो दिनांक 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-आरओ/(1)/2022(पी-3803) में प्रकाशित हुए थे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मुंबई मेट्रो रेल लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3845(अ), जो दिनांक 31 अगस्त 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. एस.के.गर्ग, मुख्य परियोजना प्रबंधक-8 की राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के भीतर डीएमआरसी परिसर के लिए डीएमआरसी के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति तथा श्री जी. पी. बंसल, मुख्य परियोजना प्रबंधक-3 के पदनाम को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी

राज्यक्षेत्र दिल्ली के बाहर के डीएमआरसी परिसरों के लिए डीएमआरसी के संपदा अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंसटीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की

एक प्रति।

(11) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(12) (एक) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(15) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(16) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन,

भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(17) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(18) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(19) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(21) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(22) (एक) सोफिटोरियम इंजीनियरिंग कॉलेज, खोरदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफिटोरियम इंजीनियरिंग कॉलेज, खोरदा, के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(23) (एक) स्नेह महिला विकास संस्था-तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेह महिला विकास संस्था-तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(24) (एक) हेरिटेज एजुकेश्नल सोसायटी, आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेरिटेज एजुकेश्नल सोसायटी, आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(25) (एक) जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(26) (एक) निदान टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निदान टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पॉण्डिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) पॉण्डिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) (एक) वर्ष 2022-2023 के लिए छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण।

(30) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(31) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, पश्चिम कामेंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, पश्चिम कामेंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(33) (एक) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(34) (एक) संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(37) (एक) भारतीय पाककला संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पाककला संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नालॉजी परिषद्, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नालॉजी परिषद्, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2023, जो 22 अगस्त, 2023 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एसटीडी/ एसपी-21/ टी(अल्कोहल-4) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) दि पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष

2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6.	**राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्यसभा को, लोकसभा द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2023 को पारित, केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 में लोकसभा को कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्यसभा को, लोकसभा द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2023 को पारित, अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023 में लोकसभा को कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

7.	**सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री गिरीश चन्द्र ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 170वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया ।

8.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 52वां प्रतिवेदन।

(2)	जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 53वां प्रतिवेदन।

(3)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय

और अधिकारिता संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 54वां प्रतिवेदन।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2021-22) के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मंजुलता मंडल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग संख्या 10) के बारे में समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 183वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) (मांग संख्या 11) के बारे में समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 184वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत के लाभार्थ स्टार्सअप्स का पारितंत्र' के बारे में समिति के 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 185वां प्रतिवेदन।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'पत्तनों पर संपर्क और पर्यटक टर्मिनल सुविधाएं' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-2023)' पर उद्योग संबंधी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-2024)' पर उद्योग संबंधी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 322वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.09 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुन्देलखण्ड में महोबा कुलपहाड़ के स्थान पर महोबा छतरपुर में नये रेलवे स्टेशन के निर्माण के बारे में।

2) श्री मोहन मंडावी द्वारा रामचरितमानस को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के बारे में।

3) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा सीटीईटी में भाषा परीक्षा पत्रों के लिए वैकल्पिक भाषाओं की सूची में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

4) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा भारतीय विमानों पर कॉल साइन 'वीटी' को 'बी टी' अर्थात 'भारत टेरिटरी' में बदले जाने की आवश्यकता।

5) श्री मनोज कोटक द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में।

6) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा बालूरघाट विमानपत्तन के परिचालन के बारे में।

7) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों को शामिल किए जाने के बारे में

8) श्री बियुत बरन महतो द्वारा पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारे में खोदी गई खाइयों और झारखंड में हाईटेंशन बिजली लाइन की कम ऊंचाई के कारण हाथियों के लिए खतरा पैदा होने के बारे में।

9) श्री घनश्याम सिंह लोधी द्वारा उत्तर प्रदेश में रामपुर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

10) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंडरपास, स्लिप रोड एवं फुटओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में ।

12) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा साइबर अपराधों से निपटने की आवश्यकता के बारे में ।

13) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में रेलवे से संबंधित कार्यों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा नगर उंटारी (श्री बंसीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12453/12454 का ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में ।

15) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा के शाहपुरा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में ।

16) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा पेरम्बलुर के छोटे प्याजों को जी.आई. टैग प्रदान किए जाने के बारे में ।

17) श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

18) श्रीमती मंजुलता मंडल द्वारा भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय की आधारभूत संरचना का विकास किए जाने के बारे में ।

अपराह्न 12.10 बजे

13. सरकारी विधेयक – पारित

(एक) *मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, राज्यसभा द्वारा यथापारित।*

आवंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 1 घंटे 31 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती चिंता अनुराधा
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री राहुल रमेश शेवाले
4. श्री भर्तृहरि महताब

5. श्री शंकर लालवानी
6. श्री संजय सेठ
7. श्री असादुद्दीन ओवैसी
8. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री जयदेव गल्ला
10. श्री सुधीर गुप्ता
11. श्री दिलीप घोष
12. श्री राजीव प्रताप रूडी

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 21 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराह्न 1.41 बजे

(दो) *प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023, राज्य सभा द्वारा यथापारित।*

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटे 27 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ निशिकांत दुबे
2. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
3. श्री राहुल रमेश शेवाले
4. श्री भर्तृहरि महताब

5. श्री गणेश सिंह
6. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
7. श्री रमेश बिधूड़ी
8. श्री बिद्युत बरन महतो
9. श्री राम कृपाल यादव
10. श्री जुगल किशोर शर्मा
11. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक को खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राज्यसभा द्वारा यथापारित, विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

14[#]. नियम 374 के अधीन सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा श्री दीपक बैज, श्री डी. के. सुरेश तथा श्री नकुल कमल नाथ द्वारा सभा तथा अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नामित किए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374 के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.09 बजे

15. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोकसभा के चौदहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराहन 3.11 बजे

* मूल हिन्दी में। ब्यौरे के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 4.13 बजे

16. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 4.15 बजे

(लोक सभा, अपराह्न 4.15 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव